

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक :- डीसी/डी-1/Amend-2/2015/

दिनांक:-

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन का निर्माण केवल सिंगल यूनिट डोज पेक में करने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन के जानवरों में उपयोग करने से डायक्लोफिनेक पॉयजनिंग के कारण वल्वर (गिद्ध) की संख्या कम होती जा रही है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इंजेक्शन डाइक्लोफिनिक का निर्माण केवल सिंगल यूनिट डोज पेक में मानव के उपयोग हेतु किया जावेगा। जिसका नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र में दिनांक 17.07.2015 को प्रकाशित हो चुका है।

अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करे कि केवल मानव उपयोग के लिये डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन सिंगल यूनिट डोज पेक ही बाजार में उपलब्ध हो इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

*sd*  
(अजय कुमार जैन)  
औषधि नियंत्रक

राज० जयपुर,

दिनांक: 23/10/2015

क्रमांक :- डीसी/डी-1/Amend-2/2015/ 674  
प्रतिलिपि:-

1. President, Rajasthan Pharmaceuticals Manufacturers Association C/o M/s Jaipur Pharmaceuticals Works, SP-2, 22 Godam Industrial Estate, Jaipur (Raj.)
2. अध्यक्ष, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन, दवा बाजार, फिल्म कालोनी, चोडा रास्ता, जयपुर।
3. प्रभारी, सेन्टर सर्वर रूम, मु० को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने की कृपा करें।

*sd*  
(अजय कुमार जैन)  
औषधि नियंत्रक  
राज० जयपुर